सेन्टर फॉर इलैक्ट्रॉनिक गर्वनेन्स, जयपुर

(राज्य सरकार का स्वायत्तशाषी संस्थान)

अरण्य भवन के पास, झालाना डूंगरी, जयपुर

कार्यालय उपयोग
मूल्य रू. 100/–
क्रमांक ....
दिनांक..................
हस्ताक्षर रोकड़िया

कुशल/अर्द्वकुशल/अकुशल/ कम्प्यूटर कार्य एवम तकनीकी कार्मिकों की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा संख्या : **दिनांक : ....**

1 निविदादाता का नाम ....

2 निविदादाता का पता ....

....

3 निविदा शुल्क ....

(डिमाण्ड ड्राफ्ट / रसीद संख्या व दिनांक)

4 निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तों को पढ़कर हस्ताक्षर कर दिये हैं, इनका पालन करने के लिये मैं सहमत हूं तथा पालन करूंगा।

5 उपरोक्त निविदा में वर्णित सेवाओं की आपूर्ति प्रत्येक सेवा के लिए निर्धारित अवधि में कर दी जायेगी।

6 इन सेवाओं की आपूर्ति लिखित आदेश प्राप्ति से 2 दिवस की अवधि में कर दी जायेगी।

7 यह अनुबंध 11 माह की अवधि के लिए प्रभावित है। इस अवधि में पारस्परिक सहमति से अभिवृद्धि की जा सकती है।

8 धरोहर राशि रू 10000.00 (अक्षरे रू दस हजार रूपये मात्र) का ड्राफ्ट संख्या........................ दिनांक........................ संलग्न जमा करवा दिया है।

9 राजस्थान सरकार द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या .... संलग्न है।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

सेन्टर फॉर इलैक्ट्रॉनिक गर्वनेन्स, जयपुर

(राज्य सरकार का स्वायत्तशाषी संस्थान)

अरण्य भवन के पास, झालाना डूंगरी, जयपुर

कुशल/अर्द्वकुशल/अकुशल/ कम्प्यूटर कार्य एवम तकनीकी कार्मिकों की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निविदा प्रपत्र

योग्यता के आधार पर सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निविदा शर्तें "

(मूल्य रू. 100/–)

1 निविदा संस्थान द्वारा जारी किये गये निर्धारित प्रपत्र एवं निर्धारित दरों के अनुरूप ही स्वीकार की जायेगी।

2 निविदा उचित रूप से सील बंद लिफाफे में ही स्वीकार की जायेगी एवं लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में "**योग्यता के आधार पर निविदा**" अंकित होना चाहिए।

3 संस्थान प्रशासन द्वारा निर्धारित धरोहर राशि जो कि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देय होगी के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

4 निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी।

5 निविदादाता को निविदा के साथ ठेका श्रम अधिनियम 1970–71 के नियम 25(1) के तहत लाईसेंस फार्म संख्या नियम अन्तर्गत 12(1) के तहत प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक है।

6 निविदादाता को आयकर निस्तारण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र एवं पेन कार्ड ठेका श्रम अधिनियम 1970 के नियम 82(1) के अन्तर्गत फार्म संख्या 24 में होना चाहिए। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न करनी आवश्यक होगी।

7 निविदादाता को P.F. व विभिन्न श्रम अधिनियम के नियमों का स्वयं के स्तर पर पालन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए **निविदा में विभिन्न संवर्गो के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत देय मजदूरी, ठेकेदार का सेवा शुल्क , भविष्य निधि प्रीमियम मय अन्य कर गुडस एण्ड सर्विस टेक्स को शामिल करते हुए दर प्रस्तुत करनी होगी । TIN No. & PAN की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करनी होगी।(अलग से कोई राशि देय नहीं होगी)**

8 संस्थान प्रशासन बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत होगा।

9 निविदा प्रपत्र एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है एवं जो दरें अंकित की हैं वे अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होंगी। आगे की अवधि आपसी सहमति से बढाई जावेगी।

10 दरें प्रत्येक सेवा हेतु पृथक–2 व स्पष्ट अंकित होनी चाहिए। **दर में अन्य वित्तिय शर्तें होने पर निविदा अस्वीकृत की जावेगी/सशर्त निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।**

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

11 सेवाओं का समय कार्यालय समयानुसार होगा, किन्तु आवश्यक होने पर समय से पूर्व अथवा पश्चात् तक सेवायें ली जा सकती है। जिसका अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा। चतुर्थ श्रेणी कार्मिको को कार्यालय समय से 30 मिनट पूर्व उपिस्थित होना होगा तथा योग्यतानुसार अन्य कार्य भी आवंटित किया जा सकता है।

12 सेवायें उपलब्ध कराने की राशि अंकों एवं शब्दों दोनों में स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिए इनमें कटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग अथवा संशोधन होने की स्थिति में लघु हस्ताक्षर किये होने चाहिये। यदि किसी कार्य हेतु दरें नहीं देनी हो तो दरें नहीं अंकित करनी है।

13 ठेकेदार को ठेका मिलने के उपरान्त संस्थान में एक अण्डर टेकिंग (100 रूपये के **Non Judicial stamp paper** पर) अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी तथा उसके द्वारा कार्य का बिल प्रति माह प्रथम कार्य दिवस पर प्रस्तुत कर संविदाकर्मियों के भुगतान में से ठेके हेतु स्वीकृत सरचार्ज राशि के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कटौती नही कर भुगतान राशि सीधे सेवाकर्मियों के बैंक खाते में जमा कर अथवा नगद भुगतान कर कार्यालय को सूचित किया जाना होगा तथा फोटो कॉपी संलग्न की जावेगी। इस अण्डर टेकिंग का पालन न करने पर संस्थान द्वारा सेवाकर्मियों को नियमानुसार सीधा भुगतान किया जा सकेगा व यह राशि ठेकेदार की जमा प्रतिभूति राशि / बकाया बिल में से समायोजित कर ली जावेगी।

14 दरें अनुमोदन होने के पश्चात् कार्य आदेश तिथि से 15 दिवस में सम्बन्धित सेवायें उपलब्ध करानी होगीं अन्यथा प्रतिदिन प्रति सेवाकर्मी रू. 100/– बिल में कटौती की जावेगी।

15 ठेकेदार द्वारा सेवा के दौरान यदि किसी प्रकार की हानि होती हो तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा तथा हानि की राशि को ठेकेदार के भुगतान से काट लिया जायेगा।

16 आदेशित सेवा उपलब्ध न कराने की स्थिति में इसे अनुबंध का खंडन माना जायेगा एवं संस्थान प्रशासन को धरोहर राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

17 धरोहर राशि को निम्नलिखित स्थितियों में जब्त कर लिया जायेगा –

- जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकृत करने से पूर्व प्रस्ताव वापस लेता है अथवा उसमें संशोधन (Modification) करता है।
- जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर अनुबंध नहीं करता है।
- जब निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि में प्रतिभूति राशि जमा नहीं करायी जाती है ।

18 सफल निविदादाता को आदेश प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर करार–पत्र निष्पादन करना होगा। जिस कार्य के लिए निविदाऐं स्वीकार की गई हैं, तीन दिवस के अंदर उसकी प्रतिभूति की राशि जमा करानी होगी।

19 प्रतिभूति राशि पर संस्थान द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

20 समस्त विधिक कार्यवाही का (यदि कोई हो) न्याय क्षेत्र जयपुर होगा ।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

21 स्वीकृत दरों पर सेवाओं की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है।

22 अनुबंध की शर्तों तथा किसी अन्य संबंधित मामलों में संस्थान का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

23 ठेके के कार्य का बिल (दो प्रतियों में) प्रतिमाह के प्रथम कार्य दिवसौ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। भुगतान अकाउन्ट पेयी चैक द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस. काटकर किया जायेगा। यदि निश्चित दिनांक पर बिल प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तो प्रतिदिन रू. 100/– दण्ड के रूप में बिल की राशि (शास्ति की राशि) से समायोजित कर ली जायेगी।

24 अनुबंध की शर्तों के अनुरूप यदि सेवायें संतोषप्रद नहीं रही, तो 7 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

25 ठेकेदार को संबंधित सेवा के पूर्व कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जायेगी (अनुभव के सभी प्रमाण पत्र संलग्न करें) । अनुबंध 11 माह के लिए किया जावेगा ।

26 अनुबंध की अनुमति कार्य करने की क्षमता एवं अनुभव का ध्यान में रखकर पहले तीन माह के लिए दी जायेगी जो कार्य संतोषजनक पाये जाने पर समय–समय पर 11 माह तक बढ़ाई जा सकेगी। 11माह बाद अनुबंध आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा ।

27 संस्थान में ठेकेदार को केन्द्र व राज्य सरकार के श्रम विभाग के नियमों तथा न्यूनतम मजदूरी के अन्तर्गत देय पारिश्रमिक नियमों के पालन संबंध में समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार का स्वयं का होगा।

28 ठेकेदार द्वारा सेवायें उपलब्ध करवाने के एवज में राजस्थान सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों (न्यूनतम मजदूरी दरों के आधार पर) सेवा शुल्क/ईएसआई/पी. एफ तथा अन्य करों को शामिल करते हुए दर के कॉलम के अंत में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये।

29 सेवाकर्मिकों की संख्या बढ़ाने, घटाने, एवं पारिश्रमिक में वृद्धि करने का अधिकार केवल निदेशक /प्रभारी सेन्टर फॉर इलैक्ट्रॉनिक गर्वनेन्स, जयपुर को होगा।

30 ठेके के अन्तर्गत कार्य कर रहे सेवाकर्मियों की किसी भी प्रकार की दुर्घटना / हानि की समस्त जिम्मेदारी पूर्णतः ठेकेदार की होगी।

31 निविदादाता को गुडस एण्ड सर्विस टैक्स के नियमानुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है। गुडस एण्ड सर्विस टैक्स का भुगतान अलग से देय नहीं होगा।

32 प्रतिमाह सेवाकर्मी को भुगतान की राशि की रसीद की फोटोप्रति सेन्टर फॉर इलैक्ट्रॉनिक गर्वनेन्स, जयपुर में प्रस्तुत करनी होगी। यदि संस्थान को भुगतान के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत देय राशि की भुगतान सीधा सेवाकर्मी को किया जाकर ठेकेदार के बकाया बिल / प्रतिभूति राशि से समायोजित करने का अधिकार सेन्टर फॉर इलैक्ट्रॉनिक गर्वनेन्स, जयपुर प्रशासन को होगा।

33 निविदादाता/फर्म को न्यूनतम 3 वर्ष का समकक्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र (सरकारी / अर्द्धसरकारी/ सीईजी सोसाईटी) संलग्न करना होगा।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

34 एल.डी.सी. / कम्प्यूटर ऑपरेटर कम टाईपिस्ट / लेखाकार व तकनीकी कार्मिक उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त निविदा शर्तेः

क्र. सं.	पद का नाम	योग्यता व अनुभव	न्यूनतम मानदेय (रुपये में)
1	तकनीकी कार्मिक	1. B.Tech/M.Tech/M.C.A/M.Sc.IT और अन्य कोई योग्यता जो कि संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न कोर्सेज के लिए उपयुक्त हो। 2. न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव (सरकारी / अर्द्धसरकारी संस्था / सीईजी सोसाईटी)	18000.00 या इससे अधिक
2	एल.डी.सी.	1. स्नातक उत्तीर्ण व आरएससीआईटी सर्टिफिकेट 2. न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव (सरकारी / अर्द्धसरकारी संस्था / सीईजी सोसाईटी)	**14850.00** या इससे अधिक
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर कम टाईपिस्ट	1. स्नातक उत्तीर्ण 2. कम्प्यूटर व हिन्दी व अंग्रेजी टाईपिंग का ज्ञान 3. न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव (सरकारी / अर्द्धसरकारी संस्था / सीईजी सोसाईटी)	**13750.00** या इससे अधिक
4	लेखाकार	1. स्नातक (B.Com) उत्तीर्ण 2. न्यूनतम 3 वर्ष का टैली व मैन्यूअल अकाउंट्स का अनुभव (सरकारी / अर्द्धसरकारी संस्था / सीईजी सोसाईटी) 3. GF&AR नियमों का अनुभव 4. RSCFA सर्टिफिकेट	**14850.00** या इससे अधिक
5	कैड अनुदेशक	1. B.Tech/Diploma/ITI/M.A. और अन्य कोई योग्यता जो कि संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न कोर्सेज के लिए उपयुक्त हो। 2. न्यूनतम 5 वर्ष का AutoCAD व अन्य Designing Software पर शैक्षणिक अनुभव (सरकारी / अर्द्धसरकारी संस्था / सीईजी सोसाईटी)	**25410.00** या इससे अधिक
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1. साक्षर 2. न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव (सरकारी / अर्द्धसरकारी संस्था / सीईजी सोसाईटी)	**6690.00**

i. कार्मिक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 50 वर्ष से कम होनी चाहिए।

ii. संस्थान में चलने वाले कोर्सेज के समय के अनुसार कार्मिक का कार्य करने का समय परिवर्तनशील रहेगा।

iii. कार्य के अलावा संस्था से सम्बंधित योग्यता के अनुरूप अन्य कार्य भी कार्मिक कि सहमती से आवंटित किया जा सकता है। जिसका अतिरिक्त भुगतान कार्मिक को किया जायेगा।

35 कार्मिकों को योग्यता व कार्य अनुभव के अनुरूप प्रतिमाह फिक्स पारिश्रमिक तालिका में पारिश्रमिक दिये गये से अधिक भी दिया जा सकता है।

36 कार्मिकों को ईएसआई व पी. एफ. की राशी कि गणना 26 दिवस की राशी पर की जायेगी।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

37 चौकीदार जिन्हे कार्य हेतु लगाया जायेगा उनकी योग्यताएँ निम्न प्रकार होगी –

(i.) चौकीदार 50 वर्ष की उम्र से अधिक का न हों एवं कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र कम से कम अच्छे आचरण का होना चाहिए। अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि कार्यालय द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत करनी होगी। अन्य साधारण व्यक्ति को चौकीदार का कार्य कराने से पहले अनुमति लेने के पश्चात रखा जा सकेगा ।

(ii.) चौकीदार की दोनों आँखों की दृष्टि ठीक हो व कोई नेत्र रोग न हो। उसका प्रमाण–पत्र चाहने पर प्रस्तुत करना होगा।

(iii.) ऐसे व्यक्ति स्वास्थ की दृष्टि से इन कार्यों को करने की योग्यता / क्षमता रखते हो।

(iv.) आवश्यकता पड़ने पर किसी चौकीदार के न आने पर रिलिवर की व्यवस्था तुरन्त ठेकेदार द्वारा की जायेगी, अन्यथा पारिश्रमिक के बराबर की वसूली/दण्ड देना होना।

(v.) दोनों आंखो की दृष्टि 6/6 की होनी चाहिए। अंक (रोमन सहित) व रजिस्टर्ड वाहनों पर अंकित अक्षरों (हिन्दी व अंग्रेजी) को पढ़ने का ज्ञान होना आवश्यक है।

(vi.) प्रत्येक व्यक्ति का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जावेगा।

(vii.) चौकीदारी हेतु जिस व्यक्ति को रखा जावेगा वह साक्षर होना चाहिए तथा उसका चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

(viii.) प्रत्येक चौकीदार की निर्धारित ड्यूटी आठ घंटो की होगी पर उसे ड्यूटी समय से 10 मिनिट पहले आना होगा एवं अपने क्षेत्र से जाने वाले सुरक्षा प्रहरी से चार्ज सम्भाल कर उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होंगे। इसी प्रकार अपनी ड्युटी समाप्त होने पर नए आने वाले चौकीदार को कार्य सम्भलाकर हस्ताक्षर करने होगें। इसी प्रकार अपनी ड्यूटी समाप्त होने पर नये आने वाले चौकीदार को कार्य सम्भला कर रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होगें। ये हस्ताक्षर ही चार्ज लेने–देने का प्रमाण होगें।

(ix.) प्रत्येक चौकीदार को अपने ड्यूटी पर स्वंय की साफ / धुली हुई यूनिफार्म (जिसमें बैल्ट, टोपी, सीटी मय ड्रेस कोड) में आना होगा। उसके पास अपनी लाठी तथा रात में तीन सैल वाली टार्च भी होगी। वर्दी का रंग Act 2005 की धारा 21वें अन्तर्गत सेना / पुलिस से सम्बधित वर्दी नहीं होनी चाहिए संस्थान प्रतिमाह की दर से देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त इन मदों पर किसी भी प्रकार का व्यय वहन नहीं करेगा। अतः प्रतिमाह दर निविदा में अंकित करते समय निविदादाता को इस बात का पूरा–पूरा ध्यान रखना चाहिए।

(x.) चौकीदार को अपने ड्यूटी मे आवारा जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, चौपाया जानवर को पकडना भी शामिल है। जानवर पकडने के लिए रस्सी आदि का प्रबन्ध निविदादाता ही करेगा। उसको यह भी देखना होगा कि अपने क्षेत्र में कोई जानवर नहीं आये और यदि आता है तो उनको पकड़कर संस्थान परिसर से तुरन्त बाहर निकाल दे ।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

(xi.) चौकीदार को अपने क्षेत्र में निरन्तर गश्त लगानी होगी व समय–समय पर सीटी बजाना आवश्यक होगा। आवश्यकता होने पर संस्थान प्रशासन को समय पूर्व सूचित करना होगा।

(xii.) मुख्य द्वार पर लगाये चौकीदार को संस्थान में दिन रात को आने–जाने वाले रजिस्टर्ड वाहनों/साम्रगी का इन्द्राज वाहन रजिस्टर में करना होगा।

(xiii.) रोड लाईट को यथा समय जलाने व बुझाने का कार्य भी चौकीदार करेंगे।

(xiv.) साधारणतया चौकीदार के रहने की कोई व्यवस्था संस्थान की तरफ से नहीं की जायेगी। रहने की अगर अस्थायी व्यवस्था की जाती है तो उक्त व्यवस्था समाप्त होने पर उन्हें तुरन्त अस्थाई व्यवस्था छोडनी होगी।

(xv.) चौकीदार की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है।

(xvi.) यदि संस्थान प्रशासन यह महसूस करे कि किसी भी चौकीदार का व्यवहार व कार्य असंतोषजनक है तो ठेकेदार ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से कार्यमुक्त कर अन्य समकक्ष व्यक्ति की व्यवस्था तुरन्त करेगा।

(xvii.) ठेकेदार से चौकीदार के कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण संस्थान को उचित दर पर वसूली का अधिकार प्रशासन को होगा ।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

वित्तिय निविदा प्रपत्र

योग्यता के आधार पर निविदा हेतु विवरण

क्र. सं.	उपलब्ध करवाये जाने वाली सेवा का नाम	अनुमानित संख्या	पारिश्रमिक प्रतिमाह/ प्रतिसेवाकर्मी मय समस्त शुल्क शर्त संख्या 30 के अन्तर्गत	दिवस
1	तकनीकी कार्मिक		रू__________________ प्रति माह प्रति अकुशल	30 दिवस
2	कैड अनुदेशक		रू__________________ प्रति माह प्रति अकुशल	30 दिवस
3	लेखाकार		रू__________________ प्रति माह प्रति अकुशल	30 दिवस
4	एल.डी.सी.		रू__________________ प्रति माह प्रति अकुशल	30 दिवस
5	कम्प्यूटर ऑपरेटर कम टाईपिस्ट		रू__________________ प्रति माह प्रति अकुशल	30 दिवस
6	कुशल (Skilled)		रू __________________ प्रति माह प्रति कुशल	26 दिवस
7	अर्द्वकुशल (Semi Skilled)		रू__________________ प्रति माह प्रति अर्द्वकुशल	26 दिवस
8	अकुशल (Un Skilled)		रू__________________ प्रति माह प्रति अकुशल	26 दिवस
9	चौकीदार		रू__________________ प्रति माह प्रति अकुशल	30 दिवस

10	कुशल/अर्द्व कुशल/अकुशल/ कैड अनुदेशक/ लेखाकार/एल.डी.सी. / कम्प्यूटर ऑपरेटर कम टाईपिस्ट/तकनीकी कार्मिक सेवा यदि नियत पारिश्रमिक पर रखे जाते हैं तो आपके द्वारा लिया जाने वाला कुल हैन्डलिगं चार्जेज व अन्य शुल्क क्या होगें (प्रतिशत में अकिंत करें।)	प्रतिशत ....

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)